

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/2/2011

जयपुर, दिनांक : 30.12.2011


क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	पद	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदस्थापित स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान
1	DR DEEPAK KUMAR GINDODA	RMO	CHC	BHADRA	HANUMANGARH	CHC BHADRA, HAMUMANGARH
2	DR HANUMAN PRASAD ROHIL	SS ORTHO	D.HOSP	HANUMANGARH	HANUMANGARH	A K HOSP BEAWAR, AJMER
3	DR JASPAL BARPAGA	JS ENT	D.HOSP	HANUMANGARH	HANUMANGARH	DH CHITTORGARH
4	DR LALIT KUMAR SHARMA	MO	D.HOSP	HANUMANGARH	HANUMANGARH	CD HANUMANGARH JUNCTION
5	DR NAJENDRA SINGH	JS OPTH	D.HOSP	HANUMANGARH	HANUMANGARH	DH JHUNJHUNU
6	DR BRIJESH GOUR	JS MED	D.HOSP	HANUMANGARH	HANUMANGARH	GH SOJAT, PALI
7	DR PAWAN KUMAR JAIN	MO DENT	D.HOSP	HANUMANGARH	HANUMANGARH	CHC BHADRA, HAMUMANGARH
8	DR SHWETA DUDI	RMO	CHC	PHEFANA	HANUMANGARH	CHC RAVATSAR, HANUMANGARH
9	DR SANDEEP TANEJA	MO	CHC	PILIBANGA	HANUMANGARH	CHC NOHAR, HANUMANGARH
10	DR SUBHASH CHAND BIDASARA	JS MED	CHC	RAVATSAR	HANUMANGARH	CHC MOHANGARH, JAISALMER
11	DR NARESH GARG	JS MED	CHC	SANGARIA	HANUMANGARH	CHC BHINMAL, JALORE

विषय:- कारण बताओं नोटिस।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक स्थानान्तरण आदेश दिनांक 26.12.2011 के द्वारा आपका स्थानान्तरण कर आपको निर्देश प्रदान किए गए थे कि आप अपने आप को कार्यमुक्त समझते हुए अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 28.12.2011 तक कार्यग्रहण कर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशक, जन स्वास्थ्य एवं इस विभाग को प्रेषित करावें, किन्तु आपने दिनांक 29.12.2011 तक अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया है।


अतः निर्देशानुसार आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर आदेशित किया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण दिनांक 02.01.2012 तक अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध सी. सी. ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।

भवदीय


(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, को भेजकर लेख है कि संबंधित चिकित्सकों को कारण बताओं नोटिस आज ही तामील कराकर इस विभाग को अवगत करावें।
5. प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेब साईड एवं सभी संबंधित को ई-मेल तुरन्त करावें।


शासन उप सचिव